कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, प्रथम–तल, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ–5/893/2019/10–11/1171
प्रेषक :–
भोपाल, दिनांक 17/03/2020

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप,
सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– **होशंगाबाद जिले के अन्तर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के कोर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम खामदा एवं मालनी भाग–5 को विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 100.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।**

संदर्भः– दिनांक 27.02.2020 को आयोजित FAC की बैठक में चाही गई जानकारी।

----0----

उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक 27.02.2020 को FAC में चर्चा की गई थी। इस प्रस्ताव पर यह जानकारी चाही गई है कि प्रस्ताव में चाही गई 100 हेक्टेयर वन भूमि के विरूद्ध विस्थापन से रिक्त होने वाली कितनी भूमि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त होगी।

इस संबंध में उप संचालक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व द्वारा पत्र दिनांक 27.02.2020 (छायाप्रति संलग्न) से यह अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में वनग्राम मालनी के 31 ग्रामीणों के विस्थापन से 20.170 हेक्टेयर वन भूमि तथा वनग्राम खामदा के 22 ग्रामीणों के विस्थापन से लगभग 143.330 हेक्टेयर वन भूमि रिक्त होगी। इस प्रकार इन दोनों वनग्रामो के विस्थापन से लगभग 163.50 हेक्टेयर वनभूमि रिक्त होगी।

आपके द्वारा दूरभाष पर विस्थापन हेतु रिक्त होने वाली दोनों वनग्रामों की KML फाईल चाही गई है, जो कि सी.डी. में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
17/3/20
(सुनील अग्रवाल)
भोपाल, दिनांक 17/03/2020

पृ0 क्र0/एफ–5/893/2019/10–11/1172
प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 प्रगति भवन, भोपाल।
2. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17/3/20
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल